

सरकारी गजट, उत्तरांचल उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग–1, खण्ड (क) (उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 01 जनवरी, 2004 ई0 पौष 11, 1925 शक सम्वत्

<u>उत्तरांचल शासन</u> <u>विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग</u> संख्या 480 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2003 <u>देहरादून, 01 जनवरी, 2004</u>

<u>अधिसूचना</u> विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल ऊर्जा विकास निधि विधेयक, 2003 को दिनांक 28—12—2003 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 21 सन 2003 के रूप में सर्व—साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि अधिनियम, 2003

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 21, वर्ष 2003}

उत्तराखण्ड राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास, विद्युत निकासी तंत्र का निर्माण तथा पारेषण तंत्र के विकास आदि हेतु राज्य में स्थित जल विद्युत परियोजनाओं की बिक्री योग्य विद्युत पर शुल्क अधिरोपित करने एवं संग्रहण हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में अधिनियमित किया जाता है :--

अध्याय—1 प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारम्भ

1-

2-

- (1) यह अधिनियम ''उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।
- (3) यह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं

- जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में----
- (क) 'नियत तिथि' का तात्पर्य धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन निधि की स्थापना की तिथि से है:
- (ख) 'शुल्क' का तात्पर्य उस शुल्क से है जो राज्य सरकार की जल विद्युत उत्पादन कम्पनी की वर्तमान एवं अधिसूचित जल विद्युत परियोजनाएं, जो दस वर्षों से वाणिज्यिक संचालन में हों, की बिक्री योग्य विद्युत पर अधिरोपित एवं संग्रहीत किया जाय;
- (ग) 'निधि' का तात्पर्य धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि से है;
- (घ) 'विहित' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन विहित किये गये नियमों से है;
- (ड.) राज्य सरकार' अथवा 'सरकार' का तात्पर्य उत्तराखण्ड की राज्य सरकार से है।

अध्याय—2 उत्तरांचल ऊर्जा विकास निधि

शुल्क का उद्ग्रहण एवं संग्रहण

- (1) राज्य सरकार शासकीय गजट में अधिसूचित तिथि से इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु राज्य सरकार की विद्युत उत्पादन कम्पनी की अधिसूचित वर्तमान जल विद्युत परियोजनाओं की बिक्री योग्य विद्युत पर शुल्क का उद्ग्रहण एवं संग्रहण कर सकेगी।
- (2) शुल्क की दर सरकार द्वारा अधिसूचित की जायेगी।
- (3) उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रत्येक अधिरोपित शुल्क का उस उत्पादन कम्पनी द्वारा भुगतान किया जायेगा जिसके द्वारा उत्पादित एवं बिकी विद्युत पर ऐसा शुल्क अधिरोपित किया गया है।
- (4) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित शुल्क तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अधिरोपित शुल्क के अतिरिक्त होगा।

शुल्क का राज्य की संचित निधि में जमा करना धारा 3 के अधीन अधिरोपित शल्क के अग्रिम सर्वप्रथम राज्य सरकार की संचित निधि में जमा किए जायेंगे और यदि राज्य विधान सभा विनियोग से ऐसी व्यवस्था करती है तो राज्य सरकार संग्रहण हेतु व्ययों की कटौती करते हुए ऐसे अग्रिमों को इस अधिनियम के उददेश्य हेतु समय—समय पर निधि में जमा कर सकेगी।

- राज्य सरकार द्वारा अनुदान एवं ऋण
- राज्य विधान सभा द्वारा विनियोग किये जाने पर राज्य सरकार ऐसी धनराशि, जैसा वह आवश्यक समझे, अनुदान या ऋण के रूप में निधि में जमा कर सकेगी।
- उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि की स्थापना
- (1) शासकीय गजट में अधिसूचित ऐसी तिथि जैसा राज्य सरकार इस हेतु निश्चित करे, इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु एक निधि की स्थापना करेगी जिसे उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि कहा जायेगा।
 - (2) निधि राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगी और उसमें निम्नलिखित धनराशियां जमा की जायेंगी——
 - (क) धारा 4 या धारा 5 के अधीन प्राप्त धनराशि;
 - (ख) राज्य सरकार द्वारा अपने कृत्यों को करने या इस अधिनियम के प्रशासन से प्राप्त धनराशि;
 - (ग) राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार या इसकी एजेन्सी द्वारा विकसित की जाने वाली जल विद्युत परियोजनाओं, विद्युत निकासी तंत्र तथा पारेषण तंत्र विस्तार आदि हेतु प्राप्त कोई निधि।
 - (3) वित्तीय वर्ष के अन्त में निधि में जमा अवशेष व्यपगत नहीं होगा।

निधि का उपयोग

7-

9-

निधि का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जायेगा:--

- (1) राज्य सेक्टर में जल विद्युत परियोजनाओं का विकास;
- (2) विद्युत निकासी तंत्र का विकास तथा पारेषण तंत्र का विकास;
- (3) राज्य सेक्टर में जल विद्युत परियोजनाओं एवं वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के विकास, विद्युत निकासी तंत्र के निर्माण तथा विद्युत पारेषण तंत्र के विकास के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष /अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी ऐसी योजनाओं / परियोजनाओं के लिए, जो सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी। 1

लेखा एंव लेखा परीक्षा 8-

- (1) राज्य के महालेखाकार के परामर्श से राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग राज्य सरकार द्वारा विहित प्रारूपों में निधि से उन्हें आवंटित राशि सम्बन्धी समुचित लेखे एवं संगत अभिलेख रखेंगे तथा लाभ–हानि एवं तुलन पत्र सिहत लेखों का वार्षिक विवरण तैयार करेंगे।
- (2) निधि के लेखों के लेखा परीक्षा राज्य के महालेखाकार द्वारा उस अन्तराल में की जायेगी जैसा कि उनके द्वारा निर्दिष्ट की जाय।

अध्याय-3

उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि का प्रबन्धन

निधि को प्रशासित करने हेतु राज्य सरकार की शक्ति राज्य सरकार को निधि को प्रशासित करने की निम्नलिखित शक्ति होगी और वह——

(क) राज्य क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास, विद्युत निकासी तंत्र का विकास तथा पारेषण तंत्र का विकास आदि सम्बन्ध निर्णय लेगी:

- (ख) उक्त प्रयोजन हेतु धन जुटाने के लिए आवश्यक उपाय करेगी;
- (ग) सम्बन्धित विभागों और/अथवा संस्था को, जो निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार हो, यथा आवश्यक धनराशि आवंटित व संवितरित करेगी——
 - (1) राज्य क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए;
 - (2) विद्युत निकासी तंत्र का विकास तथा पारेषण तंत्र का विस्तार आदि के लिए।

राज्य सरकार के कृत्य 10-

राज्य सरकार निम्नलिखित के लिये उत्तरदायी होगी:--

- (1) राज्य क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं, विद्युत निकासी तंत्र का विकास तथा पारेषण तंत्र का विस्तार, आदि के कियान्वयन के लिए निधि का प्रशासन व प्रबन्धन;
- (2) निधि से आवंटित समस्त धनराशि के समयान्तर्गत उपयोग का संकलन एवं समन्वय;
- (3) उन मामलों से सम्बन्धित व्यय की स्वीकृति जिनके लिए उपर्युक्त धारा 10 की उपधारा (1) में व्यवस्था की गई है।

नियम बनाने की शक्ति 11— शासकीय गजट में अधिसूचित करते हुए राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों की पूर्ति हेतु नियम बना सकेगी।

THE UTTARAKHAND POWER DEVELOPMENT FUND ACT, 2003

(Uttarakhand Act No. 21 of 2003)

AN ACT

A bill to levy and collect duty on saleable energy generated by Hydro Power projects for the development of Hydro Power projects, electricity evacuation system and extension of transmission system in the state Sector.

It is hereby enacted in the Fifty-fourth year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER-1 Preliminary

Short title, extent and commencement

- 1- (1) This Act may be called the Uttarakhand Power Development Fund Act, 2003.
 - (2) It extends to the whole of Uttarakhand State.
 - (3) It shall be deemed to have come into force on the date of notification issued by the State Government in the official Gazette.

Definitions

- 2- In this Act, unless the context otherwise requires—
 - (a) "Effective Date" means the date on which the fund is established under subsection (1) of section 6;
 - (b) 'Duty' means a duty imposed and collected on the saleable hydro electricity generated from the existing and notified Hydro power Plants of the power generating company of the state Government which have been in commercial operation for over ten years;
 - (c) 'Fund' means the Uttarakhand power Development Fund established under sub-section (1) of section 6;
 - (d) 'Prescribed' means prescribed by rules made under this bill;
 - (e) 'State Government' or Government' means the Government of the State of Uttarakhand.

CHAPTER-2 Uttarakhand power Development Fund

Collection of duty

- (1) The Government may collect duty with effect from such date as the State Government may, by notification in the official gazette, specify, for the purpose of this act on the saleable energy generated from the existing and notified generating Hydro Power Plants of the generating company of the State of Uttarakhand which have been in commercial operation for over ten years.
- (2) The rate of the duty shall be notified by the Government.
- (3) Every duty leviable under sub-section (1) shall be payable by the generating company on whom such duty is imposed.
- (4) The duty leviable under sub-section (1) shall be in addition to any duty leviable under any other law for the time being in force.

Crediting of duty to consolidated Fund of Uttarakhand State

4-

The proceeds of the duty levied under section 3 shall first be credited to the consolidated fund of the state Government and the state Government may, if the State Assembly by appropriation so provides, credit such proceeds to the fund from time to time, after deduction the expenses of collection for being utilized exclusively for the purpose of this Act.

Grants and loans by the State Government

5- The State Government may, after the appropriation made by the State Assembly, credit by way of grants or loans, such sums of money as the State Government may consider necessary, to the fund.

Establishment of Uttarakhand power development Fund

6-

- (1) With effect from such date as the state Government may, by notification in the official Gazette, appoint in this behalf, there shall be established for the purpose of this Act, a Fund to be called the "Uttarakhand Power Development Fund"
- (2) The Fund shall be under the control of the State Government and there shall be credited thereto—
 - (a) any sums of money paid under section 4 of section 5;
 - (b) the sums, if any, realized by the State Government in carrying out its functions or in the administration of this Act;
 - (c) Any fund provided by the State Government for the development of Hydro Power Projects, development of electricity evacuation system and extension of Transmission system etc. by the State Government or its agency.
- (3) The balance to the credit of the fund shall not lapse at the end of the financial year.

Utilization of the fund

- 7- The fund shall be utilized for---
 - (1) Development of Hydro Power Projects in the State Sector;
 - (2) Development of electricity evacuation system and extension of transmission system etc.;
 - [(3) For any other schemes/projects directly/indirectly co-operating in the development of Hydro Power Projects and development of power projects based on Renewable Energy Sources, construction of power evacuating system and development of power transmission system in State sector as determined by the Government.]¹

Accounts and audit

- (1) The concerned departments of the state Government shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts, including profit and loss account and the balance sheet in respect of allocation of their shares of fund in such from, as may be prescribed by the State Government in consolation of the Accountant General of the State Government.
 - (2) The accounts of the fund shall be audited by the Accountant General of the State Government at such intervals as may be specified by him.

CHAPTER-3 Management of Uttarakhand power development fund

Power of the State Government to administer the fund 9-

The State Government shall have the power to administer the fund an shall-

(a) take such decisions regarding investment on the development of Hydro Power Projects, development of electricity evacuation system and extension of transmission system etc. in the State sector;

- (b) take such measures as may be necessary to raise funds for the above purpose;
- (c) allocate and disburse such sums as are considered necessary, to the concerned departments and/or institutions responsible for—
 - (1) The development of Hydro power projects in the state sector;
 - (2) The implementation of projects related to the development of electricity evacuation system and extension of Transmission system etc.

Functions of the State Government

10- The State Government shall be responsible for the—

- (1) Administration and management of the share of fund allocated to the development of Hydro power projects, electricity evacuation system and extension of Transmission system etc. in the State Sector;
- (2) Co-ordination and completion of the timely utilization of all sums allocated out of the fund;
- (3) Sanction the expenditure related to the matters provided in sub-section (1) of section 10 above.

Power to make 11-rules

The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.